## इस्लाम प्रश्न और उत्तर

जनरल पर्यवेक्षक : शैख मुहम्मद सालेह अल-मुनज्जिद

## 163541 - क्या पत्नी के माल में पति को तसर्रुफ करने का अधिकार है ?

#### प्रश्न

मेरी एक दोस्त है जिसके पित ने एक दूसरी औरत से शादी कर ली है, नयी पत्नी के पास उसके पिछले पित से एक बेटा है, जबिक मेरी इस दोस्त के उसके वर्तमान पित से दो बच्चे हैं, मेरी यह दोस्त बुनियादी खर्च चलाने के लिए प्रित महीने सरकार से एक धन राशि प्राप्त करती है, तथा दूसरी पत्नी भी सरकार से पैसा पाती है, अब समस्या यह है कि पित पहली पत्नी से यह मांग कर रहा है कि वह इस धन राशि को उसके नाम पर ट्रांस्फर कर दे तािक वह स्वयं प्रित महीने उसे प्राप्त करे, और उसका तर्क यह है कि इस्लाम औरत को इस बात की अनुमित नहीं देता है कि वह सीधे सकार से धनरािश प्राप्त करे, जबिक वह दूसरी पत्नी से इस तरह का अनुरोध नहीं करता है, और जब पहली पत्नी ने उससे पूछा कि वह यही मांग या अनुरोध दूसरी पत्नी से क्यों नहीं करता है तो उसने कहा कि : वह उससे शादी करने से पूर्व ही इस रािश को प्राप्त कर रही थी, इसलिए उसके लिए उससे मांग करने का अधिकार नहीं है, तो इस बारे में इस्लामी शरीअत का दृष्टिकोण क्या है ?

### विस्तृत उत्तर

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह तआला के लिए योग्य है।.

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह के लिए योग्य है।

मूलतः पत्नी के पास जो कुछ धनराशि है वह उसी की है उसके पती की नहीं है, चाहे वह धन उसके किसी व्यापार से हो, या विरासत का हो या उसकी मह्न का हो या सरकार की तरफ से हो : इन सबसे उसके अंदर पित का कोई हिस्सा नहीं बनता है, बिल्क वह उसी की संपत्ति है, उसमें से पित के लिए कुछ भी हलाल नहीं है सिवाय इसके कि वह अपनी खुशी उसे प्रदान कर दे। यदि ऐसी बात होती कि पित अपनी पत्नी के धन का मालिक होता है, तो पत्नी की मीरास उसकी मृत्यु के बाद सारी की सारी उसके पित की हो जाती, उसमें उसका कोई और भागीदार न होता, हालांकि अल्लाह सर्वशक्तिमान की पिवत्र शरीअत में इसका कोई अस्तित्व नहीं है।

इस आधार पर, वह धनराशि जो पत्नी के पास राज्य की ओर से सहायता के तौर पर आती है, वह उसकी निजी संपत्ति है, और पित के लिए उस पर अधिकार जमाना जायज़ नहीं है। जहाँ तक उसके यह कहने का संबंध है कि इस्लाम औरत को इस बात की अनुमित नहीं देता है कि वह सीधे सरकार से धन वसूल करे, तो इस्लामी शरीअत में इस बात का कोई आधार नहीं

# इस्लाम प्रश्न और उत्तर

जनरल पर्यवेक्षक : शैख मुहम्मद सालेह अल-मुनज्जिद

है, इस विषय में पुरूष और महिला दोनों समान हैं।

पित के लिए अपनी पत्नी के माल से लेना जायज़ नहीं सिवाय इसके कि वह अपनी सहमित से उसे जो प्रदान कर दे।

अल्लाह तआला ने फरमाया :

"ऐ ईमान वालो !तुम अपने धन को अपने बीच अवैध तरीक़े से न खाओ, सिवाय इसके कि वह तुम्हारी परस्पर सहमित से कोई व्यापार हो।" (सूरतुन्निसा : 29).

तथा अल्लाह तआला का फरमान है :

"और तुम महिलाओं को उनके मह्न प्रसन्नता से भुगतान कर दो, यदि वे अपनी खुशी उस में से कुछ छोड़ दे तो उसे चाव से खाओ।" (सूरतुन्निसा : 4).

तथा प्रश्न संख्या (3054) के उत्तर में किताब व सुन्नत और विद्वानों की सर्वसहमित के प्रमाणों द्वारा यह उल्लेख किया जा चुका है कि पित का अपनी पत्नी पर खर्च करना अनिवार्य है, और यह कि ये खर्च करना उसकी अपनी क्षमता और शक्ति के अनुसार होगा, तथा पित के लिए यह जायज़ नहीं है कि वह पत्नी को उसकी सहमित के बिना अपना खर्च उठाने के लिए बाध्य करे भले ही वह मालदार हो। तथा आप पत्नी के वेतन के मुद्दे के बारे में प्रश्न संख्या (126316) का उत्तर देखें।

और अल्लाह तआ़ला ही सबसे अधिक ज्ञान रखता है।